न्यायालय तहसीलदार अजमेर

प्रकरण संख्या 1 / 2020

अंतर्गत धारा 91 राज- भू०राजस्व अधिनियम 1956

सरकार जरिये पटवारी हल्का भूडोल बनाम श्री कालू सिह रावत पुत्र प्रेम सिह, जाती रावत निवासी भूडोल

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भूडोल ने रिपोर्ट प्रस्तुत कि की ग्राम भूडोल के खसरा नं 3561 रकबा 7.05 हेक्टयेर चरागाह भूमि है जिसमें से 0.63 हैक्टयर पर तारबंदी कर कब्जा कर लिया गया है ।

वर्तमान में ग्राम भूडोल की आराजी खसरा नम्बर 3561 रकबा 7.05 हेक्टयेर मुताबिक रेकार्ड चरागाह भूमि दर्ज है| रिपोर्ट पटवारी के अनुसार अतिक्रमी के विरुद्ध अंतर्गत धारा 91 राज० भू०राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को नोटिस जारी किया गया । गेरसायल व् गेरसायल अभिभाषक द्वारा उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा गया। उन्हें समय दिया गया। अभिभाषक द्वारा जवाब पेश किया गया जो की अशंतोषजनक पाया गया |

पत्रावली का अवलोकन किया गया | मुताबिक राजस्व रिकार्ड व् जमाबंदी संवत् २०७६ के अनुसार रिपोर्ट पटवारी हल्का भूडोल अनुसार ग्राम भूडोल के खसरा नम्बर खसरा 3561 नं रकबा 0.63 हैक्ट.चरागाह भूमि है जिसमे अतिक्रमी श्री कालू सिह निवासी भूडोल द्वारा खसरा नं 3561 रकबा के 0.63 हैक्ट. में तारबंदी कर अनाधिकृत कब्जा किया जाना साबित होता है ।

अत: उक्त अतिक्रिमित भूमि ग्राम भूडोल के खसरा नं 3561 से अतिक्रमी को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया जाता है ,साथ ही अतिक्रिमित भूमि की लगान ......2/-रू. का पचास गुना ....100/-.....रु की शास्ती आरोपित से दण्डित किया जाता है ।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व भु० अभि० निरीक्षक / पटवारी हल्का को शास्ती राशी की वसूली व अतिक्रमी को मौके से बेदखली हेतु लिखा जावे ।

निर्णय आज दिनांक 14-02-2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

तहसीलदार अजमेर

तहसीलदार, अजमेर

इस पत्रावली की मांग की राशि 100/- पर इन्द्राज की गई । रा.ले.सं.-4 वर्ष 2019-20 के पृष्ठ सं. 28

तहसील राजस्व लेखाकार अजमेर